न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी दमयंती कंवर (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 104/2020 दायर दिनांक–16.07.2020

श्रीचन्द सिंह पुत्र चिमनाराम जाति जाट निवासी टोंक ढाका की ढाणी तन ग्राम टोंकछिलरी तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं (राज0)।

– वादी

बनाम

1. धर्मपाल पुत्र चिमना
2. नेमीचन्द पुत्र चिमना
3. बनवारी पुत्र चिमना
4. राकेश पुत्र चिमना
5. सज्जन पुत्र चिमना
6. भगवानी पत्नी चिमना

   जाति जाट निवासी टोंक ढाका की ढाणी तन ग्राम टोंकछिलरी तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं (राज0)।
7. भूमि धारक राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं राज0।

–प्रतिवादीगण

वकील वादी : – श्री प्रदीप कुमार झाझड़िया
वकील प्रतिवादीगण :– श्री किशोर कुमार जांगिड़

दावा बाबत घोषणार्थ दुरूस्ती रिकॉर्ड

–:: निर्णय ::–

दिनांक– 12–04–2021

वाद वादी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम टोंक ढाका की ढाणी की सरहद में आराजी नये खसरा नम्बर 261 रकबा 0.03 हैक्टर, खसरा नम्बर 262 रकबा 3.01 हैक्टर स्थित है, उक्त आराजी में वादी का 1/14 हिस्सा है तथा 1/14–1/14 हिसस ही प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 प्रत्येक का है। उक्त आराजी में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 के मध्य हक हिस्से बाबत् किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। वादी का सही व वास्तविक नाम श्रीचन्द सिंह पुत्र चिमनाराम है, जो वादी के शिक्षा रिकॉर्ड माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी अंक तालिका, राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिवार कार्ड, भामाशाह कार्ड, भारत सरकार द्वारा जारी आधार कार्ड, आयकर विभाग द्वारा जारी पैनकार्ड में दर्ज है। वादी के पिता के फौत होने पर राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों ने वादी का नाम का सत्यापन किये बिना ही उपरोक्त वर्णित आराजी के राजस्व अभिलेख में वादी का नाम श्रीराम पुत्र चिमना गलत दर्ज कर दिया। चिमना राम के 6 पुत्र वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 हुये। श्रीराम नाम का चिमनाराम के कोई पुत्र नहीं था। श्रीराम व श्रीचन्द सिंह दोनो नामो का एक ही व्यक्ति वादी ही है। राजस्व अभिलेख वादी का नाम राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों की लापरवाही के कारण वादी के नाम का सही सत्यापन नही करने के कारण हुआ है। राजस्व अभिलेख में वादी का नाम श्रीराम दर्ज होने से वादी को अनेक परेशानियों का सामना करना पडता है तथा वादी राज्य सरकार व भारत सरकार द्वारा जारी योजना का लाभ प्राप्त करने से वंचित हो जाता है। इसलिये श्रीराम पुत्र चिमना के स्थान पर वादी श्रीचन्द सिंह पुत्र चिमनाराम को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व अभिलेख दुरूस्त किया जाना आवश्यक है, जिसके लिये उक्त वाद श्रीमान जी की सेवामें पेश है। वादी को उक्त गलत राजस्व अभिलेख की जानकारी पूर्व में नहीं थी, वादी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के लिये ई–मित्र पर दिनांक 06.07.2020

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.01.31 16:30:06 IST
Reason: SelfAttested

आवेदन करने गया तो वादी को उक्त गलत राजस्व अभिलेख की जानकारी हुई जिसके पश्चात् वादी ने अपने विधिक सलाहकार से सलाह ली हो राजस्व अभिलेख की नकल प्राप्त की जिसके तुरन्त पश्चात् ही वादी की ओर से उक्त वाद श्रीमान् जी की सेवामें पेश है। उक्त वाद के लिये वादकारण दिनांक 06.07.2020 को वादी द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के लिये आवेदन करने ई-मित्र पर जाने व गलत राजस्व अभिलेख की जानकारी होने के रोज अदालत हाजा का क्षैत्राधिकार मे पैदा हुआ है। वाद की विषय वस्तु अदालत हाजा के क्षैत्राधिकार में स्थित है इसलिये अदालत हाजा को उक्त वाद सुनने का पूरा-पूरा क्षैत्राधिकार प्राप्त है।

वादी द्वारा वाद में अनुतोष चाहा है कि ग्राम टोंक ढाका की ढाणी की सरहद में स्थित आराजी नये खसरा नम्बर 261 रकबा 0.03 हैक्टर, खसरा नम्बर 262 रकबा 3.01 हैक्टर में श्रीराम पुत्र चिमना के स्थान पर वादी श्रीचन्द सिंह पुत्र चिमनाराम को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर अभिलेख दुरूस्त किया जावें।

वादी द्वारा वाद-पत्र प्रस्तुत होने पर बाद अवलोकन दर्ज पंजिका किया जाकर तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई। प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 की ओर से वकील श्री किशोर कुमार जागिड़ उपस्थित हो वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी संख्या 03 लगायत 06 बावजूद सम्यक तामिल अनुपस्थित रहने के फलस्वरूप इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लायी गयी। प्रतिवादी नम्बर 07 का कोई प्रकरण में हितबद्ध नही है। प्रतिवादी नम्बर 01 की ओर एकबालीया जवाब दावा पेश किया तथा निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 02 का भी जवाब यही समझा जावे।

साक्ष्य वादी में वादिया श्रीचन्द सिंह पुत्र श्री चिमनाराम जाति जाट निवासी टोंक ढाका की ढाणी तहसील नवलगढ का मुख्य परीक्षण का शपथ पत्र पेश किया गया। वादिया द्वार शपथ पत्र में वर्णित किया कि ग्राम टोंक ढाका की ढाणी तन टोंकछीलरी की सरहद में आराजी नए खसरा नम्बर 261 रकबा 0.03 हैक्टर, खसरा नम्बर 262 रकबा 3.01 हैक्टर स्थित है जिसमें वादी का हिस्सा 1/14 है तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 6 का हिस्सा भी 1/14 है। उक्त आराजी में मेरा नाम गलत दर्ज हो गया है जो दुरूस्त फरमाया जावे। वादी ने शपथ में अपना नाम श्रीचन्द होना अंकित किया गया है।

जवाब देही एवं साक्ष्य प्रस्तुत होने पर बहस वकील पक्षकारान् सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया। बहस तथ्यों पर मनन किया गया। वादी द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में टोंक ढाका की ढाणी तन टोंकछीलरी की जमाबंदी सम्वत् 2075-2078 पेश किया था। नाम के सम्बन्ध में दस्तावेजात के रूप में आयकर विभाग, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, राशनकार्ड, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की अकंतालिका आदि पेश किया जिसमें वादी का नाम श्रीचन्द सिंह पुत्र चिमनाराम जाति जाट निवासी टोंक ढाका की ढाणी दर्ज होना साबित है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात एवं पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर यह साबित है कि वादी का नाम गलत दर्ज किया गया है। को राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त करवाने के अधिकार है। अतः वाद वादिया स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं। वाद वादी स्वीकार किया जाता है।

आदेश

अतः वाद वादिया स्वीकार किया जाता है। राजस्व ग्राम टोंक ढाका की ढाणी की सरहद मे स्थित आराजी नये खसरा नम्बर 261, 262 रकबा क्रमशः 0.03, 3.01 हैक्टर कुल किता 02 कुल रकबा 3.04 हैक्टर में श्रीराम पुत्र चिमना के स्थान पर वादी श्रीचन्द सिंह पुत्र चिमना राम जाति जाट निवासी टोंकढाका की ढाणी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नवलगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार मुताबिक आदेश राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। इस आशय की तहसीलदार नवलगढ को तहरीर जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना-अपना वहन करेंगे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 12.04.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दमयंती कंवर(R.A.S.)
सहायक कलक्टर एवं कार्यपाल
मजिस्ट्रेट (फा0ट्रे0) नवलगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.01.31 16:30:06 IST
Reason: SelfAttested